Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 34-2019/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019 (PHALGUNA 2, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 21st February, 2019

No. 07-HLA of 2019/12/3799.— The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 07- HLA of 2019

THE HARYANA PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Act, 2019. Short title.

2. In section 45A of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter called the principal Act),- Amendment of section 45A of Haryana Act 11 of 1994.

(i) in sub-section (1), for the word "prescribed", the words "specified in the policy notified from time to time in this regard" shall be substituted; and

(ii) in sub-section (2), for the word "prescribed", the words "specified in the policy notified from time to time in this regard" shall be substituted.

3. Clause (v) of sub-section (2) of section 209 of the principal Act shall be omitted. Amendment of section 209 of Haryana Act 11 of 1994.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Communication Towers in the sabha areas of Gram Panchayats are required to be regulated in conformity with the Communication and Connectivity Infrastructure Policy notified by the Electronics and Information Technology Department, Haryana. Therefore, it is necessary to amend section 45A and to omit clause (v) of sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 to adopt the Communication and Connectivity Infrastructure Policy notified from time to time by the Electronics and Information Technology Department, Haryana.

Hence this Bill.

OM PRAKASH DHANKAR,
Development & Panchayats Minister, Haryana.

_____

Chandigarh:
The 21st February, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 07-एच०एल०ए०

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। — संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 45क में,– — 1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 45क का संशोधन।

(i) उप–धारा (1) में, ''विहित'' शब्द के स्थान पर, ''इस सम्बन्ध में समय–समय पर अधिसूचित पालिसी में विनिर्दिष्ट'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) उप–धारा (2) में, ''विहित'' शब्द के स्थान पर, ''इस सम्बन्ध में समय–समय पर अधिसूचित पालिसी में विनिर्दिष्ट'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल अधिनियम की धारा 209 की उप–धारा (2) के खण्ड (फ) का लोप कर दिया जाएगा। — 1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 209 का संशोधन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

ग्राम पंचायतों के सभा क्षेत्रों में संचार टावरों को इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा द्वारा अधिसूचित संचार एवं संयोजकता अवसरंचना नीति के अनूरूप विनियमित किया जाना वांछित है। इसलिए इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा द्वारा समय समय पर अधिसूचित संचार एवं संयोजकता अवसरंचना नीति को अपनाने के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 45क में संशोधन तथा धारा 209 की उप–धारा (2) के खण्ड (फ) को लोपित किया जाना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

ओम प्रकाश धनखड़,
विकास एवं पंचायत मन्त्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 21 फरवरी, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।

56869—H.V.S.—H.G.P.,Chd.